न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 82/2016

अपीलान्ट

1 माणकचन्द पुत्र जीवराज
2 मांगीलाल पुत्र मिश्रीलाल
3 गौतम कुमार उर्फ गौतमचन्द पुत्र मिश्रीलाल
4 मुन्नी पुत्री चम्पालाल
5 मन्जू पुत्री चम्पालाल
6 सावित्री पुत्री चम्पालाल
7 गुणवन्ती पुत्री चम्पालाल
8 संगीता पुत्री चम्पालाल
9 कमला पुत्री चम्पालाल
10 प्रेमप्रकाश पुत्र भंवरलाल
11 शोभा पुत्री भंवरलाल
12 मंजू पुत्री भंवरलाल
13 कमला पुत्री भंवरलाल
14 उदयराज पुत्र शिवलाल
15 नन्दु पुत्र शिवलाल
16 रमेश पुत्र शिवलाल
17 सत्यनारायण पुत्र शिवलाल
18 राजू पुत्री शिवलाल
19 पेपी पत्नी सुखदेव
20 पिंकी पुत्री सुखदेव
21 पुष्पा पुत्री शंकरलाल
22 कान्ता पुत्री शंकरलाल
23 उमिया पुत्री शंकरलाल जातिगण ब्राहम्ण निवासीगण गुडा जैतसिंह तहसील देसूरी जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1 मनोहरसिंह पुत्र जोरसिंह
2 हरीसिंह पुत्र मोतीसिंह
3 रतनसिंह पुत्र विशनसिंह
4 पेपसिंह पुत्र नेनसिंह
5 नारायणसिंह पुत्र मोहनसिंह
6 छत्तरसिंह पुत्र नेनसिंह
7 मनोहरसिंह पुत्र भूरसिंह
8 नरपतसिंह पुत्र चन्दनसिंह
9 किशनसिंह पुत्र जबरसिंह जातिगण भोमिया राजपूत निवासीगण गुडा जैतसिंह तहसील देसूरी जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

श्री मोतीसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री हनुमानसिंह चौहान, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

-: निर्णय :-

दिनांकः-25.10.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रानी द्वारा पारित राजस्व विविध प्रकरण संख्या 99/2013 मनोहरसिंह वगैरा बनाम माणकचन्द वगैरा में पारित आदेश दिनांक 28.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादमित्र की हैसियत से वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जैर अपील विवादित आराजी को नागणेचिया माता मन्दिर की डोली बताते हुए राजस्व रेकर्ड से अपीलाण्ट का नाम विलोपित करने तथा भूमि को डोली के रूप में दर्ज कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना ही अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया है, वह वाद मित्र की हैसियत से प्रस्तुत किया है, किन्तु न्यायालय में आदेश 32 सी0पी0सी0 के अनुसार विहित प्रक्रिया नहीं अपनाई है। न तो वाद मित्र के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं न ही कोई नोटिस जारी हुआ, किसी प्रकार की आपत्ति आमन्त्रित नहीं की गई, बिना कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाए रेस्पोडेन्ट को वाद मित्र मान लिया, जबकि ये लोग व्यथित पक्षकार की श्रेणी में ही नहीं आते एवं नही जैर अपील विवादित आराजी से रेस्पोडेन्ट हितबद्ध है। रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिसमें विवादित आराजी नागणेचिया माताजी के मन्दिर की दर्ज रही हो। जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट की पुश्तैनी खातेदारी कब्जा काश्त सुदा आराजी है, जो कभी भी मन्दिर अथवा डोली की नहीं रही है एवं न ही अपीलाण्ट के पूर्वज पुजारी थे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व सरकार द्वारा जागीर पुर्नग्रहण की गई एवं काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 एवं 19 के तहत काबिज काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए, उसी अनुरूप अपीलाण्ट को पूर्वजों को भी खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए है। रेस्पोडेन्ट द्वारा मात्र संभावनाओं के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेन्ट के पक्ष में न तो प्रथम दृष्टया मामला था, न सुविधा का सन्तुलन था एवं न ही उन्हे अपूर्णीय क्षति होने का प्रश्न था, इसके बावजूद भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं को नजरअन्दाज करते हुए मात्र भावनाओं के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया है एवं सम्वत् 1998 में लगे नोट की गलत व्याख्या की है। उसमें डोली बहाल रहना करार शब्द अंकित है, उसका अर्थ मन्दिर की या किसी भी मन्दिर की भूमि होना नहीं है। उन लोगों की डोली बहाल रखना करार शब्द है, जिनका नाम कॉलम प्रथम में लिखा हुआ है, अर्थात अपीलाण्ट के पूर्वज हीरा पुत्र वना, गणेश पुत्र इन्दा, पना पुत्र बुद्धा को डोलीदार घोषित किया है। उसके बाद लगातार काश्त होने के कारण जागीरदारी जब्त हुई, इनका कब्जा व काश्त होने के कारण इन्हे खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए है। रिकार्ड ऑफ राईट अपीलाण्ट के पक्ष में प्रबल है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लाक अदालत में नियत किया गया, इस बाबत अपीलाण्ट को कोई सूचना प्रदान नहीं की एवं न ही अपीलाण्ट को इस बाबत कोई जानकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में लोक अदालत में जैर अपील निर्णय पारित किया है, जबकि लोक अदालत के तहत आपसी सहमति से ही प्रकरण को निस्तारण के प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों आज्ञापक बिन्दुओं का विवेचन किए बगैर ही जैर अपील आदेश पारित किया है तथा रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश को अपास्त करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर बेंच) द्वारा एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 2457/97 कालू व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 26.07.2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमरसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित निर्णय दिनांक 15.04.1955 में पारित सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी नागणेची माता के मन्दिर की भूमि थी, जो कालान्तर में पुजारियों द्वारा अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा ली। इस सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया एवं वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रबल दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए है, जिनके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा Status Quo का आदेश पारित किया है। उक्त भूमि मन्दिर की भूमि है तथा मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिक है तथा अपीलाण्ट मात्र मन्दिर की तरफ से काश्त करते थे, इन्हे मन्दिर की भूमि को बेचान करने का अधिकार नहीं था। राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज का नाजायज लाभ प्राप्त करने की मंशा से ये जैर अपील विवादित भूमि के बेचान हस्तान्तरण पर आमादा थे, जिन्हे रोका जाना आवश्यक होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट को स्थगन आदेश से पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत है। जैर अपील विवादित आराजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

भूतपूर्व जागीरदार द्वारा मन्दिर को दान की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज़ करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में डी0एन0जे0 (रेवे.) 2017 पेज 190 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश से सम्बन्धित पत्रावली एवं आदेश का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह वाद मित्र की हैसियत से प्रस्तुत किया गया है तथा जैर अपील विवादित आराजी को मन्दिर की भूमि होना बताते हुए राजस्व रेकर्ड में गलत प्रविष्ठि के आधार पर अपीलाण्ट के नाम दर्ज होने एवं अपीलाण्ट द्वारा भूमि के बेचान हस्तान्तरण को रूकवाने का अनुतोष चाहा है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट को बेचान हस्तान्तरण नहीं करने हेतु पाबन्द किया है। प्रकरण का सम्पूर्ण आधार जो लिया गया है, वह मिसल संख्या 1/1/23–24 में ए0एस0ओ0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.1924 है, जिसके अनुसार ''खाता हाजा डोली बहाल रखना करार पाया'' अंकित है। हस्तगत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा जिन तथ्यों को उठाया गया है, वे प्रकरण में सारभूत प्रश्न है, यथा – जैर अपील विवादित आराजी मन्दिर की डोली है अथवा व्यक्तिगत रूप से अपीलाण्ट के पूर्वजों की डोली हैं ? रेस्पोडेन्ट को वाद मित्र की हैसियत से वाद प्रस्तुत करने का अधिकार है अथवा नहीं ? वादी हितबद्ध पक्षकार है अथवा नहीं ? इन समस्त तथ्यों एवं प्रश्नों का विनिश्चय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल वाद में तनकीयात कायम होकर उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चय होने पर ही संभव होगा, किन्तु इस दरम्यान यदि जैर अपील विवादित आराजी का बेचान हस्तान्तरण होता है, तो निश्चय ही वाद बाहुल्यता होगी, जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा जो न्यायिक सिद्धान्त प्रस्तुत किए है, वे मूल वाद Helpful है, जबकि प्रकरण हाजा में प्रश्न अस्थाई व्यादेश का है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अभिमत प्रकट किया है, उससे हम पूर्णतः सहमत हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रानी द्वारा पारित राजस्व विविध प्रकरण संख्या 99/2013 मनोहरसिंह वगैरा बनाम माणकचन्द वगैरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

में पारित आदेश दिनांक 28.06.2016 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली